तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस मे
0/9/23	29.11.23	
1/11/23	28/2/24	
	दिनांक 2.5.24	
02.05.2024	:–पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही नही की जा रही। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	Divya सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:31:08 IST
Reason: SelfAttested

(6)

कोर्ट फी COURT FEE भारत दो रुपये TWO RUPEES

संशोधित अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय सहायक क

उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ

घुकर सिंह पुत्र श्री भोला सिंह जाति जटसिख निवासी धोलीपाल

हनुमानगढ (राजस्थान)

बनाम

1–भोलासिह पुत्र श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी धोलीपल

हनुमानगढ

2–श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

दावा बावत करवाने घोषणा

श्रीमान,

वाद वादी निम्न प्रकार से हैः–

1– यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावध

तथा पंजीकृत पता शीर्षक वाद पत्र में अंकित अनुसार वर्णित है।

2–यह कि वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजो की कृषि भूमि पंजाब के मु

गिदड़वाहा तहसील के गांव पयोरी में थी जिसकी आय के उपार्ज

अन्य भूमि के अलावाा चक 10 डी..एल.पी. व चक 12 एम.एम.के.

क्टेयर भूमि खरीद की थी इसलिए चक 10 डी.एल.पी. व 12 एम

की पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है जिसमें वादी का जन्म

बनता है। चक 10 डी.ए 12 एम.एम.के. की कृषि भूमि

प्रकार से हैः–

क–चक 10 डी.एल.पी.खाता नं.17/11 में प्रतिवादी सं. 1 भोलासिं

हैक्टेयर एवं चक 10 डी.एल.पी. खाता सं. 79/53 में प्रतिवादी सं

है0 नहरी भूमि।